रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27042022-235388
CG-DL-E-27042022-235388

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1855] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 27, 2022/वैशाख 7, 1944
No. 1855] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 27, 2022/VAISAKHA 7, 1944

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2022

का.आ. 1948(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप–खण्ड (ii), तारीख 03 फरवरी, 2022 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 454(अ), तारीख 01 फरवरी, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व बर्धमान जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, रख–रखाव, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात्, ''बर्तमान '' (बंगाली) और ''द स्टेट्समैन'' (अग्रेंजी), में तारीख 09 फरवरी, 2022 में प्रकाशित किया गया था;

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा तद्नुसार आदेश पारित कर दिए गए हैं;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20ङ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व बर्धमान जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए संरचना सहित या उसके रहित अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिला पूर्व बर्धमान

क्रम संख्या	थाना का नाम	मौजा का नाम अधिकारिता सूची संख्या सहित	प्लाट संख्या	भूमि की प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल		मालिक का नाम/ हितबद्ध व्यक्ति का नाम
						एकड़ में	हेक्टेयर में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	मेमारी	पिंगुर–43 (एल. आर.)	25	रायत	शालि	0.240	0.0971	गौड़हरि गोलदार पिता– बिनय कृष्ण नन्दलाल पात्र पिता– कृष्ण चंद्र।
2	गलसी–। (बुदबुद)	गोलग्राम–89 (एल. आर.)	1032	रायत	शालि	0.215	0.0870	प्रदीप मेटे पिता– दुखीराम, सुनीति कुमार मजूमदार पिता– षोड़ोषि चरण।

[फा. सं. 2022/एलएमएल–II/12/2/ईसी/2306]

पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भू.एवं सु.)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2022

S.O. 1948(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 454(E), dated the 1st February, 2022, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 3rd February, 2022 (hereinafter referred to as the said notification) under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Purba Bardhaman in the State of West Bengal;

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers "Bartaman" (Bengali) and "The Statesman" (English), dated the 09th February, 2022 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received and accordingly orders have been passed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the Railways Act 1989, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in district Purba Bardhaman in the State of West Bengal.

DISTRICT: Purba Bardhaman

SL. NO.	POLICE STATION	NAME OF MOUZA WITH JL NO.	PLOT NO.	TYPES OF LAND	NATURE OF LAND	AREA		NAME OF THE LAND OWNER/ INTERESTED PERSON
						ACRE	HECTARE	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Memari	Pingur-43 (L. R.)	25	Raiyat	Sali	0.240	0.0971	Gourhari Goldar s/o Binoy Krishna, Nandalal Patra S/o Krishna Chandra.
2	Galsi-I (Budbud)	Golgram-89 (L. R.)	1032	Raiyat	Sali	0.215	0.0870	Pradip Mete S/o Dukhiram, Suniti Kumar Majumdar S/o Shoroshi Charan.

[F. No. 2022/LML-II/12/2/EC/2306]

PANKAJ TYAGI, Executive Director (L&A)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.04.27 22:11:43 +05'30'